न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दांता-रामगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद गौड़ R.A.S

आवेदन संख्या 183/2013

लाच्छी देवी पत्नि देवाराम जाति जाट निवासी नयाबास तहसील दांता-रामगढ़ जिला सीकर

आवेदिका

बनाम

(1) गणपत लाल पुत्र मांगी लाल जाति ब्राह्मण निवासी पृथ्वीराज का बास तहसील दांता-रामगढ़ जिला सीकर

(2) ग्राम पंचायत मंढा-सुरेरा जरिये सरपंच

(3) तहसीलदार, दांता-रामगढ़

अनावेदकगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 रा० का० अ०

उपस्थित: (1) वकील श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत
आवेदिका की ओर से
(2) वकील श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत
अनावेदक सं.1 की ओर से

...क कलक्टर(फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़(सीकर)

निर्णय दिनांक 19-11-2014

आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। आवेदन के अनुसार ग्राम नयाबास के ख.नं. 382 से 388, 328/493, 384/499 कुल किता 9 कुल रकबा 7.09 है० जिसके पुराने ख.नं. 796

Scanned by CamScanner

(2)

रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा है। यह भूमि आवेदिका के श्वसुर व प्रतिवादी सं. 1 ता हेमा व प्रतिवादी सं 4 ता 6 के दादा स्व काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व करते रहे है तथा उनके मरणोपरान्त उ काबिज है। भूमि पर आनासीय मकान हेमा व स्वयं गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति स्व को अनपढ़ होने के कारण साथ लेकर व पटवारी को लगान जमा करवाते रहे लाल ने भूमि अपने नाम दर्ज करवाली। कि ने कभी भूमि पर काश्त नहीं की। किशन कभी कोई जीवित संतान व दत्तक पुत्र न ही किशन लाल का कोई वैध वारिस अब अनावेदक सं. 1 वर्तमान के सरपंच कर किशनलाल का गलत व अवैध वारिस पत्र प्राप्त कर खातेदारी किशन लाल के स्व अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है यदि संख्या 1 खातेदारी दर्ज करवाने में सफल हो तथा प्रार्थीया को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ती किया जाना है। अतः अनावेदकगण को जरिये अस्थाई से पाबन्द किया जावे।

आवेदन दर्ज किया जाकर, अंतरिम अनावेदकगण को पाबन्द किया गया तथा गया की तलबी जरिये नोटिस की गई। अना संख्या-1 जरिये वकील हाजिर आया तथा 2 व 3 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आये

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner

इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक संख्या ने जवाब प्रस्तुत किया, जवाब में अंकित किया है कि यह कहना गलत है कि विवादित भूमि पर काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से आवेदिका के श्वसुर व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के पिता हेमा व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के दादा खातेदार काश्त करते आ रहे हैं तथा वर्तमान में उनके वारिश काबिज है। यह कहना भी गलत है कि विवादित भूमि पर आवेदिका ने अपने हिस्से पर किसी प्रकार के आवासीय मकान बना रखे है। यह कहना भी गलत है कि उक्त भूमि का लगान हेमा व रामा जरिये किशन लाल जमा करवाता है। किशन लाल स्वयं उस भूमि काश्त करता था तथा स्वयं ही उसका लगान चुकाता था। यह कहना भी गलत है कि आवेदिका को किशन लाल के नाम खातेदारी होने की जानकारी नहीं थी जबकि खातेदारी बाबत शुरु से ही जानकारी थी किशन लाल जीवन पर्यन्त काश्त करते आ रहे हैं तथा स्वयं ही लगान चुकाते आ रहे हैं। अनावेदक सं. 1 उनके जीवन काल में बतौर एक पुत्र रहा उनकी सेवा सुश्रुषा की, किशन लाल की मृत्यु के समय पगड़ी का दस्तूर भी अनावेदक सं. एक के ही हुआ था। किशन लाल के जीवन काल से लेकर वर्तमान तक लगातार शान्ति पूर्वक अनावेदक संख्या 1 ही उस

जाम
अपर जिला कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

की पूर्ण उम्मीद है।

Scanned by CamScanner

नम्बर व तारी

(4)

चूंकि पर काबिज काश्त कर रह
के नाम से खातेदारी की मय
कागज तन मौका में भी अवस्थि
चूंकि का नामान्तकरण किशन लाल
के पश्चात अनावेदक स-एक के
है।

आवेदिका ने ग्राम पंचायत को
प्रतिवादी पक्षकार बनाया है कानून
को बतौर प्रतिवादी वाद पेश करने से
माह का लिखित नोटिस देना अनिवार्य
ने ऐसा नहीं किया, इसलिये आवेदिका
वाद कतई चलाने लायक नहीं है। आवे
आवेदन खारिज किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय प
सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया
पत्रावली का गौर से अध्ययन किया। दे
बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदिका ने आ
में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वकील
अनावेदक ने जवाब आवेदन में अंकित
तथ्यों को दोहराया। चूंकि के हक एवं अधि
तो मूल वाद में तय होते है। आवेदन में ती
तीन बिन्दुओं पर विचार किया जाना है, (1) प्रथ
दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपू
रणीय क्षति। जिनपर बिन्दुवार सार निम्न प्रका
है।

स्टर(फास्ट ट्रैक)
गढ़(सीकर)

(1) प्रथम दृष्टया मामला :- आवेदन के सतारन

जमाबन्दी संवत 2057 से 2060 के अनुसार विवादित भूमि की खातेदारी किशन लाल पुत्र रूपाराम कौम ब्राह्मण निवासी पृथ्वीराजपुरा बास के नाम दर्ज है। यह भूमि पूर्व स्व. न. 796 कि है। ग्राम पंचायत मंडा-सुरेरा के वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार गणपत लाल ही मृतक किशन लाल का एक मात्र वारिश है। संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2019 व 2026 से 2034 में कहीं भी आवेदिका व उसके पति का नाम दर्ज नहीं है। आवेदिका ने अपने आवेदन में लगान जागिरदार व पटवारी को स्व. किशन लाल द्वारा जमा करवाना स्वीकार किया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अनावेदक संख्या एक के पक्ष में साबित है।

(2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति !-

चूंकि विवादित भूमि स्व. किशन लाल ब्राह्मण के नाम दर्ज है, अनावेदक सं-1 एक मात्र किशन लाल का वारिस, वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार साबित है, खसरा गिरदावरी में कहीं भी आवेदिका व आवेदिका के पति का नाम अंकित नहीं है। आवेदिका ने आवेदन के साथ तथा दौराने बहस कोई शामलात, कुर्मी नामा प्रस्तुत नहीं किया, जागिरदार को तथा पटवारी को लगान मृतक किशन लाल के द्वारा या उसके माध्यम से दिया जाना आवेदिका ने स्वीकार किया है। पत्रावली पर ऐसा कोई रिकॉर्ड

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दाँतारामगढ़ (सीकर)

हुक्म

(6)

साक्ष्य नहीं है जिससे वर्तमान ... का विवादित भूमि पर कब्जा हो। ... खातेदारी अनावेदक सं. एक के ... से दर्ज है। अतः सुविधा का संतुलन, अपूर्तनीय क्षति दोनों बिन्दु भी ... सं. एक के गणपत लाल के ... निर्णित किये जाते हैं अनावेदक ... के पक्ष में साबित हैं।

दौराने बहस वकील अनावेदक ... एक ने भिन्न दृष्टान्त अपने पक्ष में प्रस्तुत ...

① R.R.T. 2011 (2) पेज 1165, 116..

② R.R.D 2012 पेज 20, 21,

③ R.R.T. 2011 पेज 403, 404, 405,

④ R.R.D 2003 पेज 540 से 542

⑤ R.R.C 1997 पेज 539

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पेज 63, 64

पेश किये। दृष्टान्त ... प्रतिः चस्पा होते है। वकील आवेदिका कोई दृष्टान्त पेश नहीं किया।

आवेदिका ने भूमि धारी/तहसील ग्राम पंचायत के वाद प्रस्तुत किया है, वाद प्रस्तुत करने ... दो माह पूर्व 80 CPC का नोटिस दिया जाना था जो नहीं दिया गया।

अनावेदक संख्या एक की खाते में भूमि दर्ज है और प्रतिकूल कब्जा के ... पर प्राथमिक अस्थाई निषेधाज्ञा चाहती ... आवेदिका के पक्ष में प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं है तथा न ही भूमि पर कब्जा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दाँतारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner

(7)

साबित है न ही समवर्ती निष्कर्ष लिहाजा आवेदन आवेदिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

निर्णय आज दिनांक 19-11-014 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner